फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

राकेश कुमार सिंघल बनाम ग्राम पंचायत हाजीपुर

किस्म मुकदमा:– इन्तकाल अपील — मु0 नं0 ....सन –2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18–12–23	अपील वकील विद्वान श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 09–1–24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर 9-1-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 19-2-24 को पेश हो। रीडर 19.2.24 वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक 11.3.24 को पेश हो। पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दिनांक.................... को पेश हो। रीडर 11.3.24 पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी उप0, पत्रावली पंचायत से रिकार्ड तलब कीया	

जाकर पत्रावली दि0 16-4-24 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

16.4.24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 25-6-24 को पेश हो।

रीडर

Scanned with OKEN Scanner

25.6.24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 8.7.24
को पेश हो।

रीडर

8.7.24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 6.8.24
को पेश हो।

रीडर

6.8.24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक 29-10-24
को पेश हो।

रीडर

29-10-24

पत्रावली पेश हुई तहसीलदार अलवर रिपोर्ट प्रमाणित प्रति प्राप्त अवलोकन बाद बाद आदेश पत्रावली दिनांक 18-11-24 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

18-11-24

पत्रावली पेश हुई निर्णय प्रारूप से लिखाया आकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति प्रारूप से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तामील पत्रावली रजिस्टर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/16	अपील	18.12.2023	18.11.2024

उनवान

1– राकेश कुमार सिंघल पुत्र श्री नरेश कुमार अग्रवाल, उम्र करीब ५.२. साल, जाति महाजन, निवासी मकान नंबर 708, स्कीम नंबर 10–ए, अलवर तहसील व जिला अलवर (राज०)

बनाम

1:–सरपंच, ग्राम पंचायत हाजीपुर पंचायत समिति उमरैण, तहसील अलवर

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 1089 दिनॅाक 20.12.2018 वाके ग्राम ढढीकर ग्राम पंचायत हाजीपुर पंचायत समिति उमरैण, तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्यें वकील ने निवेदन किया कि यह है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नंबर 1396 रकबा 0. 22 है0 बारानी 1, 1397 रकबा 0.22 है० बारानी 1, 1399 रकबा 0.20 है० बजंड, 1400 रकबा 0.22 है० बारानी 2 किता 04 कुल रकबा 0.86 है० में से 5/6 हिस्सा दर हिस्सा 1/3 वाके ग्राम डढीकर तहसील अलवर जिला अलवर (राज०) को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27–06–2018 पूर्व खातेदार श्री लक्ष्मीनारायण से बा जाब्ता क्रय की थी और पूर्ण प्रतिफल अदा करके मौके पर कब्जा प्राप्त किया तथा बरोज खरीद से आज तक अपीलान्ट बदस्तूर मौके पर काबिज रहकर विवादित आराजी पर कार्य काश्तकारी करता आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज कराने हेतु बयनामा की फोटो प्रति पटवारी हल्का को दिनांक 04–07–2018 को दे दी थी जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 04–07–2018 को बयनामा अनुसार इंतकाल बैय संख्या 1089 दर्ज किया तथा दिनांक 04–07–2018 को ही उक्त इंतकाल पर आईएलआर ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं बयनामा के अनुसार मीलान करके अंकन हेतु अपनी रिपोर्ट कर दी। इसके बाद उक्त इंतकाल को ग्राम पंचायत हाजीपुर को प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 08–09–2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत हाजीपुर द्वारा उक्त इंतकाल को आगामी बैठक में पेश किया जावे, का नोट लगा दिया। इसके बाद दिनांक 20–12–2018 को मात्र सरपंच ग्राम पंचायत हाजीपुर ने राजस्व रिकॉर्ड एवं बयनामा का अवलोकन किये बगैर और बिना मौके पर पर गये ही व बिना कोई जांच किये गलत व मनमाने तरीके पर तथा क्रेता अपीलान्ट को बिना तलब किये, बिना नोटिस दिये

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक बयनामा इंतकाल को स्वीकार करने के बजाय उसे बेजा व विधि विरूद्ध तरीके से मौके व कब्जे के खिलाफ कब्जा न मानते हुए खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यह कि अपीलान्ट ने बयनामा की फोटो कॉपी पटवारी हल्का को देने के बाद पटवारी हल्का द्वारा यह बताने पर कि आपके नाम रजिस्ट्री के अनुसार इंतकाल मैंने तो दिनांक 04-07-2018 को ही चढ़ा दिया था, इसलिए आप निश्चिंत रहो इंतकाल आपके नाम स्वीकार हो जायेगा, जिस पर अपीलान्ट आश्वस्त होकर निश्चिंत हो गया। किन्तु अब दिनांक 10-12-2023 को अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में जाकर इंतकाल की एवं जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया व जानकारी ली तो पता चला कि उक्त इंतकाल दिनांक 20-12-2018 को सरपंच ग्राम पंचायत हाजीपुर द्वारा खारिज कर दिया गया था। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 12-12-2023 नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 12-12-2023 को सांयकाल प्राप्त हुई। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से सम्पर्क कर कानूनी सलाह मशवरा किया, जिस पर जानकारी की दिनांक से आज यह अपील बिना देरी के अंदर मियाद प्रस्तुत है। जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत हाजीपुर पं०स० उमरैण, जिला अलवर (राज०) के निर्णय के विरूद्ध अपील हाजा माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा आराजी पर वक्त खरीद से बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आराजी मुतनाजा बाबत किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मुताबिक बयनामा इंतकाल स्वीकार करना चाहिये था किन्तु गलत एवं मनमाने तरीके पर इंतकाल को खारिज कर दिया गया, जो निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिज है। ग्राम पंचायत हाजीपुर द्वारा मौके पर कब्जे की कोई जाँच नहीं की गई। निर्णय जेरे अपील में यह अंकित किया गया है कि आराजी किस प्रयोजन हेतु खरीदी गई है, का अंकन नहीं है, सर्वया गलत है। जब कृषि भूमि को क्रय किया गया है तो स्वाभाविक है कि कृषि कार्य हेतु ही कृषि भूमि को क्रय किया गया है। अन्य किसी प्रयोजन हेतु आराजी को क्रय किये जाने का कोई उल्लेख बयनामा में नहीं है। इसलिए निर्णय जेरे अपील विधि विरूद्ध एवं मनमाना होने के कारण काबिल खारिज है और अपील अपीलांट स्वीकार किए जाने योग्य है पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अपीलांट खरीददार ने आराजी का कब्जा विक्रेता से प्राप्त किया है जिसके मुकाबले में ग्राम पंचायत का निर्णय में यह अंकित करना कि कब्जा अपीलांट का नहीं है, कतई माने जाने योग्य नहीं है। क्योंकि बयनामा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त कृषि भूमि का कब्जा क्रेता को संभलवा दिया है। इस प्रकार जब बयनामा में कब्जा संभालवाने वाला तथ्य अंकित है तो ग्राम पंचायत को इस बिन्दू पर अपना निर्णय जो दिया है, वह स्पष्ट रूप से विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है जो निरस्त फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय ग्राम पंचायत हाजीपुर पं० स० उमरैण, जिला अलवर (राज०) दिनांक 20–12–2018 को खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान को नोटिस जारी किये गये प्रकरण मे तहसीलदार अलवर के पत्रॉक भू0अ0/2024/4102 दिनॅाक 6/6/24 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई कि मुताबिक जमाबन्दी हाल के खाता न. 320 में खसरा नं 1396/0.22, 1397/0.22, 1399/0.20, 1400/0.22 किता 04 रकबा 0.86 वाके ग्राम डढीकर तह, अलवर में लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्नालाल हि. 1/3 जाति सेनी सा. विजय मंदिर रोड बुध बिहार अलवर खातेदार दर्ज रिकोर्ड है।

उक्त आराजी का लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्नालाल हि0 1/3 जाति सेनी खातेदार द्वारा जर्ये बयनामा रजि.स. 201803069101510 दिनॅाक 04/07/2018 से राकेश कुमार सिंघल पुत्र नरेश कुमार अग्रवाल कर पक्ष में बेचान किया गया था।

उक्त बयनाना का इन्तकाल पटवारी दवारा नामा0 स0 1089 दिनाक 04/07/2018 को मुताबिक विक्रय पत्र एंव जमाबन्दी इन्द्राज सही मानते हुये दर्ज किया तथा भू.अ. निरीक्षक कस्बा डहरा ने दि. 04/07/2018 को अंकन सही मानते हुये मिलान किया गया था। उक्त नामा.स. 1089 बेचान को पटवारी दवारा दि 08/09/2018 को ग्राम पंचायत हाजीपुर के समक्ष फैसल वास्ते पेश किया जिसमे आगामी बैठक में पेश किया जाकर नामा0 को लौटा दिया गया था। नामा. स. 1089 बेचान को पटवारी हल्का दि0 20/12/2018 को ग्राम पंचायत हाजीपुर के समक्ष फैसल वास्ते पुनः पेश किया जिसमे क्रेता मोके पर पेश नहीं हुआ कोरम द्वारा मौका देखा गया जिसमे कब्जा होना नहीं पाया गया भूमि किस प्रयोजन के लिये कय की गई है अंकन नहीं किया गया इसलिए कोरम द्वारा सर्व सम्मति से नामांतरण रद्द किया जाता है का नोट लगाया गया। उक्त नाम.स. 1089 बेचान से ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति से नामान्तरण (खारिज) रद्द किया जा चूका है। इसलिए उक्त नामान्तकरण .स. 1089 बेचान का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं किया जाकर जाकर पूर्व में लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्नालाल डि.1/3 खातेदार का नाम राजस्व रिकोर्ड में चला आ रहा है। अतःउक्त प्रकरण में जर्ये बयनामा रजि.स. 201803069101510 दि.04/07/2018 से लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्नालाल हि.1/3 जाति सेनी सा. विजय मंदिर रोड पुत्र नरेश कुमार अग्रवाल कर पक्ष में बेचान का नामान्तकरण स्वीकार किया जाकर सकारात्मक निराकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया तथा बहस पर मनन किया। तहत पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम ढढीकर ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

जीपुर तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 1089 दिनॉक 20—12—2018 बावत इन्तकाल स0 1089 वाके ग्राम ढढीकर ग्राम पंचायत हाजीपुर तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू—राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रकरण मे विधिक रूप से प्रर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये नियमानुसार रजिस्र्टड बयनामे अनुसार पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर

निर्णय आज दिनांक १8-११-२५ को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner